11.11.20

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-09/2020-21

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

मो० मंजोरी देवी बनाम तिजो बाला देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – मो० मंजोरी देवी पति–स्व० जगत महतो, ग्राम–ईचाडीह टोला जोजोडीह, पो०–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी।

क्रेता का नाम एवं पता – तिजो बाला देवी पति–श्री गंगाधर महतो, ग्राम–भीठुडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री नकुल महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–23/07/2020 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत क्रेता तिजो बाला देवी पति–श्री गंगाधर महतो, ग्राम–भीठुडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
भीठुडीह	तमाड़/213	07	250	0.10 ए० चौहद्दीः– उ०–अमर महतो। द०–दुलाल महतो। पू०–नागेश्वर महतो। प०–मोहर महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, तमाड़ का पत्रांक–690(ii) दिनांक–02/11/2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत गंगोया देवी वगैरह कौम कुरमी के नाम से दर्ज है।

(2) पंजी–II रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पति–पत्नी का है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम जगत महतो है। तथा रैयत के पास रकबा–11.78 ए० भूमि है।

(4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 तक वसूली गयी है।

(5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पति–पत्नी का है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन परती किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात भी प्रयाप्त शेष भूमि जीवन यापन के लिए रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को कृषि कार्य हेतु बिक्री कर रही है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही समुदाय कुरमी जाति के अन्तर्गत आते है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही थाना में निवास करते है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, तमाड़ ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)b के तहत विक्रेता मो० मंजोरी देवी पति–स्व० जगत महतो, ग्राम–ईचाडीह टोला जोजोडीह, पो०–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी, को क्रेता तिजो बाला देवी पति–श्री गंगाधर महतो, ग्राम–भीठुडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–23/07/2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, तमाड़ के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता मो० मंजोरी देवी पति–स्व० जगत महतो, ग्राम–ईचाडीह टोला जोजोडीह, पो०–उलीडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी, को क्रेता तिजो बाला देवी पति–श्री गंगाधर महतो, ग्राम–भीठुडीह, पो०–बारेडीह, थाना–तमाड़, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–गृहणी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
भीठुडीह	तमाड़/213	07	250	0.10 ए० चौहद्दीः– उ०–अमर महतो। द०–दुलाल महतो। पू०–नागेश्वर महतो। प०–मोहर महतो।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू।